भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2025
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी श्रमिकों का कल्याण

2025. **श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशों में निर्माण/श्रमप्रधान कार्यों में लगे भारत के कुल मजदूरों की देश–वार, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय देशों और खाड़ी क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में ऐसे मजदूरों की जिले–वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे मजदूरों के कल्याण और इन देशों में उनके कुशल क्षेत्र में महायता करने के लिए कोई योजना/परियोजना/पहल है;

(घ) यदि हां, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है, जिसमें ऐसी योजना/परियोजना/पहल के लिए पिछले पांच वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि और लाभार्थियों की कुल संख्या शामिल है; और

(ङ) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय मजदूरों की सहायता करने के लिए कोई प्राधिकरण/ हेल्पलाइन स्थापित करने पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 15 मिलियन भारतीय नागरिक विदेश में मौजूद हैं, जिनमें अकुशल कामगार, कुशल कामगार और पेशेवर शामिल हैं। यह मंत्रालय ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 ईसीआर देशों में से किसी भी देश में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक, भारतीय कामगारों के डेटा का रखरखाव करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने वाले भारतीय कामगारों को जारी की गई उत्प्रवासन अनापति का देशवार विवरण अनुबंध क पर संलग्न है। तथापि, जिन लोगों ने उत्प्रवासन अनापति प्राप्त नहीं की है, उनका विवरण डेटाबेस में नहीं दर्शाया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से मध्य पूर्वी देशों सहित 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने वाले आंध्र प्रदेश के कामगारों (श्रमिकों सहित) का जिलावार ब्यौरा अनुबंध ख पर संलग्न है।

(ग) एवं (घ) सरकार विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, हिफाजत और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) तथा प्रस्थान–पूर्व अनुकूलन एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी भारतीय कामगार (श्रमिकों सहित) सुरक्षित प्रवास कर सकें, गंतव्य देशों में उनके लिए बेहतर कार्य और निवास स्थितियां रहें, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच सुलभ हो। प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर श्रेणी के भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना 10 लाख रुपये का बीमा कवर और आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी छूटने की स्थिति में अन्य लाभ प्रदान करती है, जिसके लिए दो वर्षों के लिए 275 रुपये या तीन वर्षों की वैधता के लिए 375 रुपये का मामूली बीमा प्रीमियम देना होता है। पीडीओटी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राज्य सरकारों और अन्य सहभागियों के सहयोग से विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रदान किया जाने वाला सॉफ्ट स्किल्स संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग संकट के समय विदेश में मौजूद भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को माली हालत के आधार पर कानूनी सहित अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए करते हैं, जिसमें पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया या परिवार की सहमति से स्थानीय दाह संस्कार और मृत्यु दावों का निपटारा शामिल है। वर्ष 2014 से मार्च 2024 तक, इस कोष के तहत विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा लगभग 656 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और लगभग 3,50,194 भारतीयों को सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों (श्रमिकों सहित) के उत्प्रवास की प्रक्रिया को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विनियमित किया जाता है, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशी रोजगार (ओई) और उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। सरकार ने विदेशों में मौजूद भारतीय कामगारों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। कामगार विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक–इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीजीआरएएमएस और ई माइग्रेट तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। संकटग्रस्त भारतीय कामगारों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली तथा दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने भी टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबरों सहित 24X7 हेल्पलाइनें स्थापित की हैं तथा मोबाइल ऐप भी लांच किए हैं, ताकि भारतीय नागरिक संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों/केंद्रों में समर्पित श्रम शाखाएँ भी मौजूद हैं जो श्रमिक शिकायतों का त्वरित निवारण

सुनिश्चित करती हैं। बहरीन, कुवैत, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में, जहाँ भारतीयों की बड़ी संख्या है, संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। ये आश्रय गृह संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने तक निःशुल्क भोजन और आवास प्रदान करते हैं।

विदेशी नियोक्ताओं (एफई) के विरुद्ध प्रवासी कामगारों से शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र इस मामले को नियोक्ता/स्थानीय अधिकारियों के समक्ष उठाता है। किसी भी विदेशी नियोक्ता की गलती पाए जाने पर उन्हें पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पीएसी) के अंतर्गत रखा जाता है और संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र के साथ उचित परामर्श के बाद ही उस विशेष विदेशी नियोक्ता के माध्यम से भारतीय कामगार को आगे रोजगार की अनुमति दी जाती है। विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत आयोजित की जाने वाले संयुक्त कार्य समूह की आवधिक बैठकों में भी विदेशी नियोक्ताओं से संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में मौजूद भारतीय कामगारों से वार्ता करने, उनसे फीडबैक प्राप्त करने तथा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविरों का आयोजन करते हैं।

*****

अनुबंध – क

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय प्रवासी कामगारों को ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से दी गई उत्प्रवास अनापति के देश–वार आंकड़े :

देश	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (25.07.2024) तक
सउदी अरब	161103	44316	32845	178630	200713	92947
संयुक्त अरब अमीरात	76112	17891	10844	33233	71688	50568
कुवैत	45712	8107	10158	71432	48212	20964
कतर	31811	8907	49579	30871	30683	12178
ओमान	28392	7206	19453	31994	21336	14167
मलेशिया	10633	2435	36	12836	15319	4839
बहरीन	9997	4175	6383	10232	7376	5348
जॉर्डन	0	317	2386	2487	1187	1841
इराक	162	759	935	1430	1599	1343
लेबनान	160	21	54	282	200	107
थाईलैंड	24	10	1	3	4	10
इंडोनेशिया	0	1	0	3	0	2
दक्षिण सूडान	0	0	1	1	0	0
अफ़ग़ानिस्तान	2	0	0	0	0	0
सूडान	0	0	0	1	0	2
सीरिया	0	0	0	0	0	0
यमन	0	0	0	0	0	0
लीबिया	0	0	0	0	0	0
कुल	**3,68,049**	**94,145**	**1,32,675**	**3,73,425**	**3,98,317**	**2,04,316**

अनुबंध – ख

पिछले 5 वर्षों के दौरान मध्य पूर्वी देशों सहित 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने वाले आंध्र प्रदेश के कामगारों को ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से दी गई उत्प्रवास अनापति के जिलावार आंकड़े:

ज़िला	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (25 जुलाई 2024 तक)
अनंतपुर	322	52	80	329	493	372
चित्तूर	1277	242	340	1467	1063	527
पूर्वी गोदावरी	1466	287	481	1656	1373	768
गुंटूर	116	27	18	109	123	47
कृष्णा	215	38	44	165	166	109
कुरनूल	332	77	71	235	300	220
नेल्लोर	406	48	4	0	0	79
निजामाबाद	887	166	21	0	0	0
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	224	73	135	651	524	166
श्रीकाकुलम	1344	356	864	861	1129	552
विशाखापत्तनम	1425	636	885	2424	1960	909
विजयनगरम	91	48	40	105	169	53
पश्चिम गोदावरी	2877	539	838	2780	2363	1508
वाईएसआर जिला	6783	1256	1605	8351	6630	3318
प्रकाशम	120	16	16	98	94	43
	17,885	**3,861**	**5,442**	**19,231**	**16,387**	**8,671**

*****